

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा जिला राजसमंद

(पिठासीन अधिकारी चन्द्रशेखर भण्डारी, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या:- 08/2018 (अपील)

दायर दिनांक:- 06/08/2018

निर्णय दिनांक:- 30/08/2019

अनवान

1. हरीश आर्य उर्फ हरिशचंद्र सनाढ्य पिता जटाशंकर निवासी ओडा हाल निवासी म. नं क-418 हिरण मंगरी सेक्टर नम्बर 3 उदयपुर

अपीलांट

बनाम

1. देवेन्द्र कुमार पिता जटाशंकर सनाढ्य निवासी ओडा हाल निवासी 40 ई ब्लोक हिरण मंगरी सेक्टर नम्बर 14 उदयपुर
2. राजेन्द्र कुमार पिता जटाशंकर सनाढ्य निवासी म.नं. 7 शाही विहार कोलोनी चांदमारी रोड आबु रोड जिला सिरोही
3. विरेन्द्र कुमार पिता जटाशंकर सनाढ्य निवासी ओडा हाल निवासी ए-149 ई ब्लोक हिरण मंगरी सेक्टर नम्बर 14 उदयपुर
4. शांता देवी पत्नी बद्रीप्रसाद सनाढ्य पिता जटाशंकर सनाढ्य निवासी ई-सी 58 सज्जन नगर उदयपुर
5. कैलाश देवी पत्नी ओमप्रकाश सनाढ्य पिता जटाशंकर सनाढ्य निवासी गंगरार जिला चित्तोडगढ
6. हिमांशु पिता कैलाश सनाढ्य निवासी म.नं. 205, 5/2 शिवनगर सवीना टीटी सेक्टर नम्बर 14 गोवर्धन विलास उदयपुर
7. विजय लक्ष्मी पत्नी विजय शर्मा निवासी म.नं. 270 ए ब्लोक सज्जन नगर मुल्ला तलाई उदयपुर

रेस्पोडेण्टगण

अपील विरुद्ध नामान्तरण संख्या 1188 द्वारा ग्राम पंचायत ओडा निर्णय दिनांक 20/12/2016

निर्णय

अपीलांट की और से जरिये अधिवक्ता अपील अपीलांट विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 1188 दिनांक 20.12.2016 के प्रस्तुत की गई कि ग्राम ओडा तहसील रेलमगरा में स्व. जटाशंकर पिता कजोडीमल उर्फ महोदव जी ब्रामण सनाढ्य के स्वत्व एवं

सहायक क्लर्क  
(उप खण्ड अधिकारी)  
रेलमगरा

अधिकार की कृषि भूमियां खसरा संख्या 1973 व 1962 गांव ओडा में स्थित है। जटाशंकर पिता कजोडीमल उर्फ महोदव जी ब्राहमण सनाढ्य का निधन दिनांक 17-05-2016 को हो गया और विरासत का नामान्तरण पटवारी हल्का ओडा के द्वारा जटाशंकर के उत्तराधिकारियों के नाम पर खोलने हेतु जो प्रार्थना पत्र दिया था और उसके साथ एक पंजीकृत वसीयत पत्र भी दिया या तत्कालीन पटवारी ने पंजीकृत वसीयत पत्र को बिना अवलोकन किये जटाशंकर के विरासत का नामान्तरण अपीलांट व रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 से लगायत 07 के नाम पर भर कर नामान्तरण संख्या 1188 पंचायत के कोरम में पेश कर दिया। पंचायत के कोरम में जब नामान्तरण को रखा गया तो कोरम के अध्यक्ष सरपंच व कोरम के सदस्यों ने भी बिना ध्यान लगाये पटवारी हल्का के द्वारा भरे हुए नामान्तरण तथा रेवन्यु इन्सपेक्टर द्वारा जांच के द्वारा जांच के पृष्ठांकन के आधार पर ही नामान्तरण को फेसल करने में भारी वाक्याती व कानुनी त्रुटी की है व नामान्तरण संख्या 1188 खारिज किया जाना विधि सम्मत है नामान्तरण संख्या 1188 में स्व. जटाशंकर की पुत्रियों श्रीमती शांता देवी व कैलाश देवी व तीसरी पुत्री प्रेम देवी जो फोज हो चुकी है और उनके पुत्र हिंमाशु व विजय लक्ष्मी के नाम पर जो नामान्तरण खोला गया वह पंजीकृत वसीयत पत्र जो स्व. जटाशंकर ने अपीलांट व रेस्पोंडेन्ट संख्या 01,02,03 के ही पक्ष में अपनी स्वअर्जित सम्पति मकान व स्वअर्जित सम्पति के सम्बंध में निष्पादित करवा रखी थी, को ही आधार मान कर विधि सम्मत तरीके से वसीयत की मंशा के अनुरूप नामान्तरण का निस्तारण विरासत के आधार पर किया जाना कानूनन आवश्यक था। रेस्पोंडेन्ट संख्या 04,05,06 व 07 का स्व. जटाशंकर के द्वारा स्वअर्जित सम्पति जिसके सम्बंध में पंजीकृत वसीयत के आधार पर कोई हक नहीं बनता है और अपीलांट व रेस्पोंडेन्ट संख्या एक दो तीन चारो भाईयो के नाम पर ही विरासत का नामान्तरण फेसल किया जाना न्यायोचित था। बिना कानुनी स्थिति को देखे नामान्तरण संख्या 1188 फेसल कर दिया गया है। जिसे खारिज किया जाकर पंजीकृत वसीयत के आधार पर नामान्तरण को फेसल किया जाना न्यायोचित है। पटवारी हल्का के द्वारा नामान्तरण संख्या 1188 की जानकारी अपीलांट को नहीं थी अपीलांट ने दिनांक 27.04.2018 को नामान्तरण की नकल प्राप्त की, तब विधि विरुद्ध रूप से फेसल किये गये नामान्तरण का ज्ञान हुआ व ज्ञान

सहायक कलेक्टर  
(उप खण्ड अधिकारी)  
रेवासा

होते ही एक माह की अवधि में नामान्तरण की अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की जा रही है एवं न्याय हित में अपीलांट के कथनों के समर्थन में अन्तर्गत धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर पंजीकृत वसीयत पत्र के आधार पर नामान्तरण खोलने का आदेश प्रदान करावे तथा अन्य कोई दाद जो न्यायालय आप उचित समझे प्रदान कराई जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई रेस्पोंडेण्टगण को जरिये सुचना तलब के बावजूद सुचना के अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई दौराने बहस अधिवक्ता अपीलांट ने बताया की ग्राम पंचायत द्वारा बिना उक्त नामान्तरण के सम्बंध में पक्षकारान को बिना सुनवाई एवं वसीयत की जांच किये बिना ही नामान्तरण पारित किया गया है। उसे निरस्त फरमाया जाकर पक्षकारान को सुन वसीयत की जांच कर नये सिरे से नामान्तरण पारित फरमाया जावें। पत्रावली एवं उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ग्राम ओडा के नामान्तरण संख्या 1188 दिनांक 20.12.2016 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार रेलमगरा को प्रतिप्रेषित कि जाकर निर्देश दिये जाते है कि पक्षकारान को सुन पंजिकृत वसीयत पत्र के जांच कर नये सिरे से नामान्तरण की कार्यवाही की जावे पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 30/08/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

25/08/19  
(चन्द्रशेखर भण्डारी)  
उपखण्ड अधिकारी  
(उप तहसीलदार अधिकारी)  
रेलमगरा